[illegible]यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

[illegible] अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.
[illegible] संख्या. 36 / 2012
[illegible] :– वाद–पत्र
[illegible] दिनांक : 09.04.2012

अनवान

1. मांगुपुरी पिता मोहनपुरी जी जाति गुसाई उम्र 65 वर्ष, निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. नाथुपुरी पिता मोहनपुरी जी जाति गुसाई उम्र 80 वर्ष, निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. शंकरपुरी पिता मोहनपुरी जी जाति गुसाई उम्र 70 वर्ष, निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. मगनपुरी पिता मोहनपुरी जी जाति गुसाई उम्र 59 वर्ष, निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. संतोष बाई पिता मोहनपुरी जी पत्नि महादेवपुरी जाति गुसाई उम्र 75 वर्ष निवासी मदारा हाल आलोली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. हीरापुरी पिता दोलतपुरी उर्म दौलपुरी जी जाति गुसाई उम्र 61 वर्ष निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. सरजु बाई विधवा भैरूपुरी जी जाति गुसाई उम्र 75 वर्ष निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिलारू राजसमन्द
8. नन्दपुरी पिता भैरूपुरी जी जाति गुसाई उम्र 51 वर्ष निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

9/1 शिवगिरी माता मांगी बाई जाति गुसाई उम्र 45 वर्ष निवासी आलोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

9/2 नानुगिरी माता भांगी बाई जाति गुसाई उम्र 43 वर्ष निवासी आलोली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

10. सोहनी बाई पिता दौलतपुरी पत्नि बोथेगिरी जाति गोस्वामी उम्र 55 वर्ष निवासी कन्नोज तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ

...............वादीगण

बनाम

1. बालुपुरी पिता डालुपुरी जी जाति गुसाई उम्र गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. मांगुपुरी पिता डालुपुरी जी जाति गुसाई उम्र गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. लेहरूलाल पिता डालुपुरी जी जाति गुसाई उम्र गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द वर्ष, निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. मदनपुरी पिता डालुपुरी जी जाति गुसाई उम्र वर्ष, निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. कंकुपुरी विधवा डांलुपुरी जी जाति गुसाई गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. मोहनपुरी पिता दीपापुरी जी जाति गुसाई उम्र 65 वर्ष निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. रमेशपुरी पिता बंशीपुरी जी जाति गुसाई उम्र 35 वर्ष, निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. सीता पुत्री बंशीपुरी जी पत्नि शिवगिरी जी जाति गुसाई उम्र 32 वर्ष श्हाल निवास बोरदा तहसील गंगरार जिला चित्तोडगढ
9. कैलाश पिता बंशीपुरी जाति गुसाई उम्र 28 वर्ष निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. नन्दपुरी पिता सोहनपुरी जी जाति गुसाई उम्र वर्ष निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. लेहरीवाई पिता सोहनपुरी जी पत्नि शंकरपुरी जी जाति गुसाई वर्ष हाल निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12. सुन्दर बाई विधवा शंकरपुरी जी जाति गुसाई उम्र महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
13. लेहरू पुरी पिता शंकरपुरी जी जाति गुसाई उम्र वर्ष निवासी महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
14. सोहनी वाई पिता शंकरपुरी पत्नि गणेशपुरी जी जाति गुसाई निवासी बारू तहसील राशनी जिला चित्तोडगड
15. शांतापुरी विधवा शिवपुरी जी जाति गुसाई उम्र वर्ष निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
16. महादेव पुरी पिता शिवपुरी जी जाति गुसाई उम्र महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा [illegible]र्ष निवासी
17. घनश्याम पुरी पिता शिवपुरी जी जाति गुसाई उम्र वर्ष निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जि[illegible]ा भीलवाडा
18. कैलाशपुरी पिता शिवपुरी जाति गुसाई उम्र महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा वर्ष, [illegible]वासी
19. राजरथान राज्य भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द

....प्रतिवादीगण

वादः बाबत् घोषणा एवं निषेधाज्ञा

उपस्थितः– वादी की ओर से :– अधिवक्ता चावण्डसिंह शक्तावत
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता राकेश सनाढ्य

निर्णय

दिनांक 2[illegible].01.2026

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह कि ग्राम मदारा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में आराजी संख्या 478 क्षेत्रफल 1 वीघा 11 वीस्वा, आराजी संख्या 497 क्षेत्रफल 2 वीघा 8 बीस्वा, आ. चाह संख्या 484 क्षेत्रफल 8 वीस्वा कुल किता 3, कुल क्षेत्रफल 5 वीघा 10 वीस्वा स्थित है यह कि खसरा संख्या 478 को दीपापुरी, सोहनपुरी पिता नारायण पुरी, सुन्दरवाई विधवा शंकरपुरी, प्रतापपुरी पिता भूरपुरी निवासी गोगायला एंव महेन्द्रगढ़ ने गत भूमाप की खसरा संख्या 297 क्षेत्रफल 1 वीघा 5 वीस्वा जो कि गत भूमाप की आ. चाह संख्या 300 से सिंचित होता चला आ रहा था। इस भूमि को वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता मोहनपुरी जी निवासी मदारा को बिल एवज 600 रूपये में विक्रय कर आधिपत्य सिपुर्द कर दिया तव से वादीगण संख्या । से 5 तक के पिता के जीवनकाल से मोहनपुरी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे एंव मोहनपुरी जी की मृत्यु के पश्चात् वादीगण संख्या 1 से 4 तक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण संख्या 5 का कोई आधिपत्य नहीं है किन्तु मोहनपुरी की वारिस होने के कारण उसे वादीगण वनाया गया है। विक्रेतागण ने खसरा संख्या 297 के उपयोग उपभोग सम्बन्धित सिंचाई कुंए के हिस्से सहित विक्रय की गई तथा खसरा संख्या 297 के चारो पड़ौसो के सीमाओ के मध्य की भूमि पाली डोली व वृक्षों सहित विक्रय कर कब्जा मोहनपुरी को सौंप दिया था तथा मोहनपुरी के पक्ष में एक अपंजीकृत विक्रयपत्र 6.3.1965 को ग्राम रेलमगरा में बजाब्ता स्टाम्प पर निष्पादित किया गया। तब से मोहनपुरी का निर्विघ्न शांतिपूर्वक विक्रेतागण की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है। मोहनपुरी की करीब 26 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है एंव मोहनपुरी जी की मृत्यु के पश्चात् वादीगण संख्या 1 से लगायत 4 का कब्जा शांतिपूर्वक निर्विघ्न निरन्तर प्रतिवादीगण की खुली जानकारी मे चला आ रहा है। इतना ही नहीं खसरा संख्या 479 मोहनपुरी के खातेदारी व आधिपत्य की होने के कारण खसरा संख्या 478 व 479 के विच की पाली डोली को निकाल कर एक चक बना दिया गया व वर्तमान में आराजी संख्या 478 व 479 जो कि नवीन आराजी है का एक चक में उपयोग किया जा रहा है। अर्थात् आराजी संख्या 478 व 479 के विच कोई सीमाकंन चिन्ह नहीं है। ह कि गत भूमाप की आराजी संख्या 297 का क्षेत्रफल । बीघा 5 बीस्वा का नवीन आराजी संख्या 478 का 1 बीघा 11 बीस्वा बना है एंव गत भूमाप की आराजी संख्या 298 के वर्तमान आराजी संख्या नातुजी 479 वने है। मोहनपुरी ने आराजी संख्या 298 एक चक बनाने के लिए ही खरीद की थी। यह की गत भू माप आराजी संख्या 321 मीन क्षेत्रफल 2 वीघा 8 बीस्वा बनाए गये है। आराजी संख्या 321 मीन का वादीगण 6 से 10 के पूर्वज दौलत पुरी पिता लाल पुरी जी को 200 रूपये में प्रतिवादीगण के पूर्वज दीपापुरी, सोहनपुरी, शंकरपुरी, प्रतापपुरी ने 100–100 रु में कुल 200 रूपये में दौलतपुरी के पक्ष में विक्रय पत्र संवत् 2003 का आषाढ़ सुदी 12 को विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा दौलतपुरी को सिपुर्द कर दिया था। उक्त विक्रयपत्र शंकरपुरी व प्रतापपुरी ने निष्पादित किया जिसमें 321 मीन के पड़ौसो को दर्शित किया गया जिसमें पूर्व का पड़ौस भवानीराम, पश्चिम का खेत दौलतपुरी, उत्तर का पड़ौस भोलपुरी का जो दौलतपुरी के गिरये था व दक्षिण का पड़ौस कालु कुमावत का था। इन चारो पड़ौसो के मध्य की भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा दौलतपुरी को सिपूर्द कर दिया। इसी प्रकार खातेदार दीपापुरी, सोहनपुरी ने उपरोक्त चारों पड़ोसो के मध्य की भूमि संवत 2002 का माध सुद 12 को विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा दौलतपुरी को सिपूर्द कर दिया, दौलतपुरी ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी का उपयोग उपभोग किया व उनकी मृत्यु के पश्चात् हिरापुरी व भैरापुरी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। भैरू पुरी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नि सरजुबाई, पुत्र नन्दपुरी का आधिपत्य निरन्तर निर्विघ्न प्रतिवादीगण की खुली जानकारी में चला आ रहा है। मांगीबाई व सोहनीबाई को दौलतपुरी की पुत्रियां होन से वादीगण के रूप में जोड़ा गया है। वर्तमान आराजी संख्या 478 पर वक्त पेमाइश संवत् 2020 में कब्जा मोहनपुरी पिता रामपुरी का उप कृषक के रूप में अंकित है। इसी प्रकार वर्तमान आराजी संख्या 497 पर उप कृषक के रूप में भैरूपुरी, हिरापुरी, कालुपुरी पिता दौलतपुरी का दर्ज चला आ रहा है। कालुपुरी की अविवाहित किशोरनि गांगपुरी अवस्था में मृत्यु हो चुकी थी जिससे भैरूपुरी व न हिरापुरी ही वारिसान है जिसमें इनका नाम उपकृषक के रूप में अंकित चला आ रहा है। यदि वास्तव में इन भूमियों पर प्रतिवादीगण के पूर्वज का कब्जा तो वादीगण के पूर्वजों का नाम उप कृषक के रूप में अंकित नहीं होता। वादीगण का वादग्रस्त आराजी संख्या 478, 497 व 484 पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार कृषक हो चुके है एंव प्रतिवादीगण के अपने खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। वादग्रस्त भूमियां का लगान भी वादीगण व वादीगण के पूर्वज जमा कराते चले आ रहे। प्रतिवादीगण के पूर्वज विक्रय के पूर्व से ही मदारा की सकूनत तर्क कर चुके थे इसी कारण प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने विक्रयपत्र में अपनी सकूनत गोगाथला व महेन्द्रगढ़ बताई। वादीगण संख्या 6 से 10 के पूर्वज दौलतपुरी जी ने गत भू माप की अपनी आराजी संख्या 312 में गत भूमाप की आराजी संख्या 321 के मीन को सम्मिलित करने के आशय से खरीद की व गत भूमाप से वर्तमान आराजी संख्या 498 है। वर्तमान आराजी संख्या 498 व 497 का एक चक के रूप में स्थित है तथा आराजी संख्या 497 व 498 वर्तमान आ. चाह से सिचिंत होती चली आ रही है। प्रतिवादीगण के पूर्वज ने अपने आ. चाह सहित विक्रय किया है। प्रतिवादीगण के क़ब्जे की ग्राम मदारा में कोई दूसरी भूमि स्थित नहीं है। सोहनपुरी, दीपापुरी, शंकरपुरी व प्रतापपुरी जी की मृत्यु हुए काफी वर्ष हो चुके है। प्रतिवादीगण के कोई लेना देना नहीं होने के कारण नामान्तकरण तक नहीं खुलवाया है। भूमियों की किमते वढ़ जाने के कारण लालच उत्पन्न हो गया है जिससे अपने नाम पर भूमियां कराने की धमकियां दे रहे है। जिससे उक्त वादपत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियां अपने राम पर कराने पर उद्धत हो रहे है। तथा प्रतिवादीगण ने धमकियां दी की वे रूपये देकर विक्रयपत्र अपने नाम पर करवा देगें जिससे उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे अन्यथा वादीगण को भारी सारवान क्षति कारित होगी। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की खातेदारी अधिकारी की घोषणा की प्रदान की जावे कि ग्राम मदारा की आराजी संख्या 478 वाराण संख्या 1 से 4 तक की एक आराजी संख्या 497 वादीगण संख्या 6 से 10 तक एंव आ. चाह संख्या 484 छादीगण के खातेदारी की घोषित फरमाथी जावे। वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान की जावे कि आराजी संख्या 478, 497 व आ. चाह संख्या 484 के उपयोग उपभोग में वाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे। दौराने वाद प्रतिवादीगण दौराने वाद विक्रय कर ब्री देवे तो पुनः पूर्ववत् आदेश प्रदान किया जावे। वाद व्यय वकील महेनताना वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे। अन्य समुचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये प्रतिवादीगण समन तलव किए गए। प्रतिवादी संख्या 13, 15, 17, 18 व 16 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश सनाढय ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त । बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल मे लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 13 से लगायत 18 की ओर से जवाव प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
(... अधिकारी)

जवाब निम्नानुसार है:– 1.यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 एक का विवरण स्वीकार है। 2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 दो का विवरण स्वीकार नही । मोहनपुरी जी को 600/–रूपये में विक्रय कर आधिपत्य सिपुर्द करने का विवरण स्वीकार नही कुए के हिस्से सहित विक्रय करने का विवरण गलत होने से स्वीकार नही न ही विक्रय सम्बन्धी कोई दस्तावेज निष्पादित किया। इस कलम में गलत तथ्यों का उल्लेख किया है जो गलत होने से स्वीकार नही। 3. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 3 तीन के विवरण में गलत आराजी संख्या 297 का नवीन आराजी संख्या 478 आराजी संख्या 298 का नवीन आराजी नम्बर 479 आना स्वीकार अन्यथा विवरण गलत होने से स्वीकार नही है। 4. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 4 चार का विवरण स्वीकार नही। 5. यह कि वाद पत्र की कलम सख्या 5 पॉच का विवरण जिस प्रकार प्रकार लिखा स्वीकार नही । 6. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 6 छः का विवरण स्वीकार नही प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार होने का विवरण स्वीकार नही प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होने का विवरण गलत है स्वीकार नही सकुनत तर्क करने का विवरण स्वीकार नही। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 7 सात विवरण स्वीकार नहीं । 8. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 8 आठ का विवरण जिस प्रकार लिखा स्वीकार नही । वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार की है वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। 9. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 9 नौ में मुल्यांकन कम किया तथा न्यायालय शुल्क पुरा नही किया।10. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 10 दस कानुनी है। 11. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 11 ग्यारह के विवरण में भूमियां गावं मदारा में स्थित होना स्वीकार अन्य विवरण स्वीकार नही। 12. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 12 बारह का विवरण स्वीकार नही वाद हेतु 15 दिन पूर्व बमुकाम रेलमगरा मे उत्पन्न होने का विवरण स्वीकार नही वादीगण को कोई वाद हेतु उत्पन्न नही हुआ है वादीगण का वाद इसी आधार पर काविल खारिज के है। 13. यह कि प्रार्थना की कलम में वादीगण ने जो दादा संख्या 1,2,3,4,5 चाही है वो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है वाद काविल खारिज के रहता है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने विशेष कथन में यह निवेदन किया कि:– 1. यह कि वादीगण ने तथाकथित अन रजिस्टर्ड विकय पत्र को आधार बना यह वाद प्रस्तुत किया है। ये दस्तावेज 100 रूपये तथा उससे अधिक मुल्य के लिये है ऐसे दस्तावेज कानुनन पंजीकृत होना आवश्यक रहते है बिना इनके ये दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नही है। 2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में भाई बंध होकर एक ही परिवार से है। 3. यह कि स्व. शिवपुरी पिता प्रतापपुरी जी की पुत्रिया नोसर, सीता व सीमा जो कि इस मामले में आवश्यक पक्षकार है को पक्षकार नही बनाया है वाद पक्षकारो कुसंसोधन के आधार पर भी काविल खाजिर के रहता है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें। उक्त प्रकरण में पक्षकारण के अभियोचनो के अनुसार निम्न विवाध्यक निर्मित किये गये।

पत्रावली में निम्नांकित तनकियात कायम की गई:–

1– आया वादीगण वादग्रस्त भूमियां खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। **वादीगण**

2– आया विकय पत्र अपंजिकृत होने से साक्ष्म में ग्राहय नहीं होने से वाद पत्र निरस्त होने योग्य है। **प्रतिवादी सख्या 13 से 18**

3.– अनुतोष।

तनकीयात कायम की गई वादीगण की ओर से गवाह में साक्ष्य वादी में पीडब्लयू–1 नन्दपुरी, पीडब्लयू–2 शिवपुरी, पीडब्लयू–3 नाथुपुरी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र मय गवाह बयान कलमबंद करवाकर प्रस्तुत किए ।

विवादित संख्या 01 को सावित करने का भार वादीगण पर रखा गया एवं विवादित संख्या 02 को सावित करने का भार प्रतिवादी संख्या 13 से लगायत 18 पर रखा गया।

तनकीयात् वार निर्णय निम्नानुसार है –

1– आया वादीगण वादग्रस्त भूमियां खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। **वादीगण**

विवादित संख्या 01 के सन्दर्भ में में वादीगण प्रस्तुत वाद एवं साक्ष्य शपथ पत्र एवं गवाह बयान पीडब्लयु 01, 02 व 03 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 17.02.2020 को पारित नामान्तरण सही है। राजस्व ग्राम मदारा की जमावंदी 157 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 है तथा विक्रय पत्र प्रदर्श 2 है। वादग्रस्त भूमियों में नवीन एवं पुराने नंवरों के खसरों की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 से लेकर 5 है। तथा वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7 व लिखत की अनुवादीत नकल प्रदर्श 8 व 9 है। अलस विकय पत्र प्रदर्श 10 एवं जिसकी फोटोप्रति की प्रति प्रदर्श 10 ए है। उक्त सभी साक्ष्य शपथ पत्र एवं जिरह में वादीगण द्वारा बताया गया कि सोहनपुरी, दीपापुरी, शंकरपुरी व प्रतापुरी जी की मृत्यु हुए काफी समय/वर्ष हो चुके है। वाद में विवादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं होने के कारण नामान्तरण तक नहीं खुलवाया है। भूमियों किमते बढ जाने के कारण लालच उत्पन्न हो गया। जिससे अपने नाम कराने की धमकियां दे रहे है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। क्युकि उक्त भूमिया वादीगण के पूर्वजों की होने के कारण वादीगण लिगल वारिसान होने के कारण वादग्रस्त भूमियां को खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 13 से 18 ने अपनी जिरह एवं जवाब में वताया कि वादीगण ने तथाकथित अन रजिस्टर्ड विकय पत्र को आधार वना यह वाद प्रस्तुत किया। ये दस्तावेज 100 तथा उससे अधिक मुल्य के लिये है ऐसे दस्तावेज कानुनन पंजीकृत होना आवश्यक रहते है बिना इनके ये दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। स्व. शिवपुरी पिता प्रतापपुरी की पुत्रिया नोसर, सीता व सीमा जो कि इस मामले में आवश्यक पक्षकार है। जिनको वाद में वादीगण द्वारा जानवुझकर पक्षकार नहीं वनाया है। वाद पक्षकारो कुसंसोधन के आधार पर भी काविल खारिज योग्य है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात् की घोषणा कराने में असफल रहे है तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कराने के अधिकारी सावित होते है। अतः उक्त वाद को वादीगण अपने पक्ष में कराने में असफल रहे है। उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2– आया विकय पत्र अपंजिकृत होने से साक्ष्म में ग्राहय नहीं होने से वाद पत्र निरस्त होने योग्य है। **प्रतिवादी सख्या 13 से 18**

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

विवादित संख्या 02 के सन्दर्भ में में वादीगण प्रस्तुत वाद एवं साक्ष्य शपथ पत्र एवं गवाह बयान पीडब्लयु 01, 02 व 03 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 17.02.2020 को पारित नामान्तरण सही है। राजस्व ग्राम मदारा की जमाबंदी 157 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 है तथा विक्रय पत्र प्रदर्श 2 है। वादग्रस्त भूमियों में नवीन एवं पुराने नंबरों के खसरों की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 से लेकर 5 है। तथा वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7 व लिखत की अनुवादीत नकल प्रदर्श 8 व 9 है। अलस विक्रय पत्र प्रदर्श 10 एवं जिसकी फोटोप्रति की प्रति प्रदर्श 10 ए है। उक्त सभी साक्ष्य शपथ पत्र एवं जिरह में वादीगण द्वारा बताया गया कि सोहनपुरी, दीपापुरी, शंकरपुरी व प्रतापुरी जी की मृत्यु हुए काफी समय/वर्ष हो चुके है। वाद में विवादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं होने के कारण नामान्तरण तक नहीं खुलवाया है। भूमियों किमते बढ जाने के कारण लालच उत्पन्न हो गया। जिससे अपने नाम कराने की धमकियां दे रहे है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। क्युकि उक्त भूमिया वादीगण के पूर्वजों की होने के कारण वादीगण लिगल वारिसान होने के कारण वादग्रस्त भूमियां को खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 13 से 18 ने अपनी जिरह एवं जवाब में बताया कि वादीगण ने तथाकथित अन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आधार बना यह वाद प्रस्तुत किया। ये दस्तावेज 100 तथा उससे अधिक मुल्य के लिये है ऐसे दस्तावेज कानुनन पंजीकृत होना आवश्यक रहते है बिना इनके ये दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। स्व. शिवपुरी पिता प्रतापपुरी की पुत्रिया नोसर, सीता व सीमा जो कि इस मामले में आवश्यक पक्षकार है। जिनको वाद में वादीगण द्वारा जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया है। वाद पक्षकारो कुसंसोधन के आधार पर भी काबिल खारिज योग्य है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण विवादग्रस्त आाराजीयात् की घोषणा कराने में असफल रहे है तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कराने के अधिकारी साबित होते है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है। प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3.– अनुतोष।

विवादित संख्या 03 के सन्दर्भ में में वादीगण प्रस्तुत वाद एवं साक्ष्य शपथ पत्र एवं गवाह बयान पीडब्लयु 01, 02 व 03 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 17.02.2020 को पारित नामान्तरण सही है। राजस्व ग्राम मदारा की जमाबंदी 157 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 है तथा विक्रय पत्र प्रदर्श 2 है। वादग्रस्त भूमियों में नवीन एवं पुराने नंबरों के खसरों की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 से लेकर 5 है। तथा वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7 व लिखत की अनुवादीत नकल प्रदर्श 8 व 9 है। अलस विक्रय पत्र प्रदर्श 10 एवं जिसकी फोटोप्रति की प्रति प्रदर्श 10 ए है। उक्त सभी साक्ष्य शपथ पत्र एवं जिरह में वादीगण द्वारा बताया गया कि सोहनपुरी, दीपापुरी, शंकरपुरी व प्रतापुरी जी की मृत्यु हुए काफी समय/वर्ष हो चुके है। वाद में विवादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं होने के कारण नामान्तरण तक नहीं खुलवाया है। भूमियों किमते बढ जाने के कारण लालच उत्पन्न हो गया। जिससे अपने नाम कराने की धमकियां दे रहे है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। क्युकि उक्त भूमिया वादीगण के पूर्वजों की होने के कारण वादीगण लिगल वारिसान होने के कारण वादग्रस्त भूमियां को खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 13 से 18 ने अपनी जिरह एवं जवाब में बताया कि वादीगण ने तथाकथित अन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आधार बना यह वाद प्रस्तुत किया। ये दस्तावेज 100 तथा उससे अधिक मुल्य के लिये है ऐसे दस्तावेज कानुनन पंजीकृत होना आवश्यक रहते है बिना इनके ये दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। स्व. शिवपुरी पिता प्रतापपुरी की पुत्रिया नोसर, सीता व सीमा जो कि इस मामले में आवश्यक पक्षकार है। जिनको वाद में वादीगण द्वारा जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया है। वाद पक्षकारो कुसंसोधन के आधार पर भी काबिल खारिज योग्य है। वाद में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात् में वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र निर्धारित मूल्य के कम होने के कारण वादीगण अपने वाद को घोषणा कराने में असल रहे तथा प्रतिवादीगण वाद को खारिज करवाने में सफल रहे हैं। वादीगण वाद में विवादग्रस्त आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी साबित होते है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है। प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सूनी गई। जिसमें वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज ने वादीगण के पूर्वज को एक अन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विवादग्रस्त भूमि का बेचान किया एवं कब्जा वादीगण को सोप दिया गया।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस एवं साक्ष्य वादी तथा तनकीवार निर्णय अनुसार वादीगण अपने वाद में घोषणा कराने में असफल रहे एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी साबित होते है। अतः आदेश दिया जाता है कि –

–: आदेश :–

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा–88 वा 188 राजरथान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत वाद राजस्व ग्राम मदारा तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 478, 497 एवं 484 कुल किता 3 कुल रकवा 05 विघा 10 विस्वा में **घोषणा के अधिकार को अस्वीकार (खारिज) किया जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा की दाद को स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर वादीगण के कब्जे एवं काश्त में प्रवेश नही करें, न ही वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।** तदनुसार डिकी पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजवत, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहा(राजसमंद)क्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा